संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ : 1–187 / 2016 / विज्ञप्त / 1124 नया रायपुर, दिनांक : 05 / 08 / 2017

::–आदेश–::

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 1–187 / 2015 / विज्ञप्त / 2319, दिनांक 15.11.2016 एवं क्रमांक एफ 1–187 / 2015 / विज्ञप्त / 2326, दिनांक 18.11.2016 के अनुक्रम में माह जूलाई–2017 के दौरान प्राप्त होने वाले आनलाईन आवेदनों एवं दिनांक 05.08.2017 को प्राप्त होने वाले ऑफलाईन आवेदनों का माह अगस्त–2017 के प्रथम सप्ताह दिनांक 05.08.2017 (शनिवार) को संविदा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार (WALK-IN-INTERVIEW) में उपस्थित अभ्यार्थी की योग्यता अर्हता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त चयन समिति के अनुशंसा अनुरुप संविदा नियुक्ति के लिए पात्र निम्नांकित उम्मीवारों को (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं विज्ञापन में वर्णित प्रावधान अनुसार नीचे दर्शित शर्तो पर दो वर्ष के लिए चिकित्सा अधिकारी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दर्शित शर्तो के तहत् प्रदान की जाती है:–

क्रं.	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ. राजेन्द्र सुथार	श्री बाबुलाल	अना.	एमआई फैक्टरी, भगवती बाल निकेतन स्कूल के पास, वार्ड नं.–29, समदाणी रोड बलोतरा, जिला बरमेर राजस्थान	MBBS	जिला चिकित्सालय बलरामपुर
2	डॉ. सुजाता कुमारी	डॉ. जितेन्द्र कुमार	अना.	भगवती मेडिकल, योगी काम्पलेक्स, दल्लीराजहरा रोड़, बालोद, छ0ग0	MBBS	जिला चिकित्सालय बालोद
3	डॉ. गणेशराम अग्रवाल	स्व0श्री गोपीकिशन अग्रवाल	अना.	सी / ओ श्याम टाईपिंग इन्सटीट्यूट, श्याम टाकिज बिल्डींग, बूढ़ापारा, रायपुर छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र, सेक्टर–29, नया रायपुर जिला रायपुर

4	डॉ. प्रशांत वर्मा	श्री तिलकराम वर्मा	अ. पि. वर्ग.	167, कॉलेज रोड, संत माता कर्मा वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदा बाजार–भाटापारा, छ0ग0	MBBS	जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार
5	डॉ0 नीरज तिवारी	श्री कमलेश कुमार तिवारी	अना.	गंगानगर सेक्टर 2, मंगला रोड, बिलासपुर, छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र बोड़ला, जिला कबीरधाम
6	डॉ. महेश्वर मानिक	श्री भागवतराम मानिक	अ. पि. वर्ग.	ग्राम/पोस्ट–दोकड़ा, तह0–कांसोबेल, जिला जशपुर, छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र दुलदुला, जिला जशपुर
7	डॉ. बलराम कुमार रोहिदास	श्री महावीर रोहिदास	अ. जा.	रविदास चौक जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र नवागढ़ जिला जांजगीर, छ0ग0
8	डॉ. सोनाली वैष्णव	श्री संजीव वैष्णव	अना.	सिविल हॉस्पिटल कॉलोन, पंखाजूर, जिला कांकरे, छ0ग0	MBBS	सिविल हॉस्पिटल पंखाजुर, जिला कांकेर
9	डॉ. विवेक तिवारी	श्री राजेश कुमार तिवारी	अना.	एडी–19, आसमा एनक्लेव सकरी, जिला बिलासपुर, छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र प्रेमनगर, जिला सूरजपुर छ0ग0
10	डॉ. शैलेश दौरा	श्री भोलेश्वर दौरा	अ. पि. वर्ग.	ग्राम टिकरापारा, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद, छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र देवभोग जिला गरियाबंद
11	डॉ. नितिन तिवारी	डॉ. एम.जी. तिवारी	अना.	डंगनिया मोड़, सुंदर नगर, रायपुर, छ0ग0	MBBS	सामु. स्वा. केन्द्र बीरगांव, जिला रायपुर, छ0ग0
12	डॉ. सुभाशीष करन	डॉ. आशीष कुमार करन	अना.	कोरिया कलेक्ट्रेट के सामने, ग्राम खरवट, पोस्ट बैकुंठपुर, जिला कोरया, छ0ग0	MBBS	जिला चिकित्सालय कोरिया
13	डॉ. विकास गुप्ता	स्व0श्री जे0पी0 गुप्ता .	अ. पि. वर्ग.	म.नं.–04, फर–2, आस्था कॉलोनी, खमतराई चौक के पास, सीपत रोड़ बिलासपुर, छ0ग0	MBBS	**सामु. स्वा. केन्द्र तखतपुर, ज़िला बिलासपुर**
14	डॉ. पटेल उर्चिता	श्री पटैल दिव्यांगकुमार लालजीभई	अना.	पुलिस ऑफिसर्स मेस, पुलिस परेड ग्राउंड के पास, बैरन बाजार, रायपुर, छ0ग0	MBBS	जिला चिकित्सालय रायपुर

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
2. छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति किया जावेगा।
3. संविदा सेवा नियुक्ति के नियम 2012 एवं विज्ञापन पर प्रसारित शर्तो के अधीन नियंत्रित व शासित होंगे।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की (अन्य शर्ते) लागू होगी।
5. प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय होगाः–

   चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी,एस,योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुश्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :– सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 45,000/– अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 55,000/– + उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत क्रमशः चिन्हित कठीन क्षेत्र के लिए रुपये 20000/– कठीनतम क्षेत्र के लिए रुपये 25000/– तथा पहुचं विहिन सस्थाओं में कार्य करने पर रुपये 30000/– मासिक राशि एकमुस्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।
6. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
7. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनांक का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णाकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह के वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए ही की जा सकती है।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का मानदेय देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

11. चयनित अभ्यार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
14. संविदा नियुक्ति समान्यतः स्वीकृत कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Prefomance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों में ऊपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुये कार्य की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय शासन ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
15. जिला में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी को संविदा शर्तो के तहत् नियुक्तिकर्ता/नियत्रंणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
16. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों का पालन आपके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा, एवं उच्चकार्यालय द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सुविधाएँ लागू होगी।
17. नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत अपनी पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त माना जावेगा।
18. नियुक्त/शर्तो में शिथलीकरण का अधिकार आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं छत्तीसगढ़ रायपुर को होगा।

19. छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉउसिल से रजिस्ट्रेशन तीन माह के अंदर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवााऐं (विज्ञप्त शाखा) एवं अपने जिला नियंत्रण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में पंजीयन प्रस्तुत करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदान की जा रही संविदा सेवाऐं स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी, इसके लिए पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

5/8/17
आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक एफ : 1–187/2016/विज्ञप्त/1125 नया रायपुर, दिनांक : 05 /08/2017

<u>प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छ.0ग0।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छ.0ग0।
7. समस्त कोषालय अधिकारी छ0ग0।
8. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र. .... छ0ग0।
9. संबंधित डॉ...संविदा चिकित्सक.. ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. आदेश फाईल।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़